अध्याय - 7

मॉनीटरिंग तंत्र तथा प्रभाव मूल्यांकन

7.1 मॉनीटरिंग तंत्र

परियोजना स्तर पर प्रत्येक माह आयोजित प्रगति समीक्षा बैठकों (पीआरएमस) के माध्यम से एनएचपीसी, एसजेवीएनएल और टीएचडीसी में परियोजनाओं का निष्पादन निरंतर मॉनीटर किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल भी नियमित रूप से परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि ये प्रगति समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं थीं, फिर भी इनका वांछित प्रभाव नही हुआ। परियोजना के अवरोधों को दूर करने के लिए उत्तरदायित्व केन्द्रों की पहचान के बावजूद, इन केन्द्रों द्वारा की गई कार्रवाई पर बाद की बैठकों में चर्चा नहीं की गई थी। यहाँ तक कि वरिष्ठ प्रबंधन स्तर की नियमित बैठकें भी देरी को रोकने में प्रभावी नहीं हुईं क्योंकि उन्होनें नियंत्रणीय कारकों पर विशेष रूप से विचार नहीं किया जैसे-ठेकेदारों को आगमन सड़कों को सौंपने में देरी, निर्माण आरेखणों को जारी करने, में देरी, मात्रा बिल का गलत आकलन इत्यादि; मॉनीटरिंग समिति यह भी सुनिश्चित करने में विफल रही कि ठेकेदार द्वारा ली गई सभी जोखिम बीमा पॉलिसियों में अतिरिक्त मदें भी शामिल थी।

एमओपी की नियमित बैठकें भी क्रियान्वयन में चिन्हित समस्या क्षेत्रों पर समय से कार्रवाई सुनिश्चित करने में सहायक नहीं हुई।

मंत्रालय/एनएचपीसी और एसजेवीएनएल प्रबंधन ने कहा (मार्च 2012) कि प्रभावी मॉनिटरिंग तंत्र का अनुसरण किया जा रहा था और देरी के प्रमुख कारण प्रतिकूल भू-भौतिकी, प्राकृतिक आपदा इत्यादि थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तरदायित्व केन्द्रों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुवर्ती बैठकों में अनुपालन नहीं किया गया था। एमओपी और सीपीएसईज़ द्वारा स्थापित मॉनिटरिंग तंत्र परियोजनाओं की प्रगति को गति प्रदान नहीं कर सका और देरी लक्ष्य प्राप्ति मे बड़ी बाधा बनी रही। नियंत्रणीय मुद्दे भी समय से नहीं निपटाये गये जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के समापन में देरी हुई।

7.2 अवसर चूकने के कारण प्रभाव

जल विद्युत क्षमता संवर्धन में वृद्धि, बिजली की माँग और आपूर्ति के बीच अन्तराल को कम करने के लिए शुरू की गई। मार्च 2012 तक 6274 मेगावाट के ऊर्जा संवर्धन की प्रगति में देरी हुई, जिसमें से 1030 मेगावाट 14 से 84 महीने की देरी से चालू हुआ और 5244 मेगावाट चालू होने की निर्धारित तिथि से 20 से 115 महीने को देरी से मार्च 2012 के बाद ही चालू हो सकेगी। इससे 26,282.97 मिलियन इकाई[65] (अनुबंध VIII) वार्षिक बिजली उत्पादन (डीपीआरस के अनुसार) का अवसर चूक गया। इसके अतिरिक्त, सीईआरसी (टैरिफ के नियम व शर्तों) नियमावली, 2009 के अनुसार अप्रैल 2009 से मार्च 2014 की निर्धारित समय सीमा के भीतर चालू की गई परियोजनाओं के लिए 35 वर्ष से अधिक अवधि की परियोजना की 0.50 प्रतिशत की दर से इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल अनुमत किया जाता है। देरी के कारण सीपीएसईज़ को चालू करने की निर्धारित तारीख से परियोजनाओं की अवधि तक में ₹ 1474.57 करोड़ (अनुबन्ध IX में विवरण दिया गया है) की इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल भी छोड़ना होगा।

---

65 डीपीआर में परिकल्पित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (आनुषंगिक खपत एवं ट्रांसफार्मर हानि) के आधार पर निकाला गया। निपको की (60 मेगावट)की टूरियल परियोजना का वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 60 प्रतिशत लोड घटक तथा अनुषंगिक खपत एवं ट्रांसफार्मर हानि कम करने के पश्चात गणना की गई है।